

मैनुअल—15

कार्यालय : निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक—सू0अ0/ २५४२-७३ / 2017-18 दिनांक - २४-०३-२०१४

सेवा में,

- १- संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- २- समस्त उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

कृपया निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा के पत्रांक—सू0अ0/ 20202 / 2017-18 दिनांक 13 नवंबर 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड; देहरादून के पत्र संख्या: रू0ग्र0 ८५३४-३६ / प्र०सि/ 2017-18 दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के साथ संलग्न सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या: ८२८ / XXXI(15)2016G / १७-०६(रा०सू०अ०) / 2012 दिनांक 14 सितम्बर 2017 के द्वारा 17 मैनुअलों को प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल से माह जून तक अद्यतीकरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। जो अद्यतन अवधि तक आपके अनुभागों द्वारा 17 मैनुअल से सम्बन्धित सामाची उपलब्ध नहीं करायी है।

इस राबंध में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त सामाची/अभिलेख अपने अनुभागों से मैनुअलों से संबंधित सामाची की सूचना नह अप्रैल 2016 से जून 2017 तक उपलब्ध कराये जाने हैं। मैनुअल्स में निम्नलिखित विषय की सामाची संकलित करें।

- | | |
|---------------------------|--|
| १- कार्यालय ज्ञापन। | १८- नियुक्ति/ पदोन्नति/ संशोधन/ स्थानान्तरण |
| २- ज्ञापन | १९- स्वीकृति/ प्राप्त एस्टिमेट |
| ३- परिपत्र | २०- स्थानान्तरण/ रिक्त/ कार्यरत/ स्वीकृत पदों की स्टेमेंट सभी वर्गों की। |
| ४- मंजूरी पत्र | २१- विभिन्न समय बैंण्ड स्टेटमेंट |
| ५- कार्यालय आदेश | २२- भवन निर्माण/ मरमत/ शौचालय / चाहर दिवारी/ बिजली/ पानी की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन से सम्बन्धित समस्त पत्रजातों की प्रति/ विद्यालयों व विद्यन/ नाडल विद्यालय सम्बन्धी। |
| ६- अद्व सरकारी पत्र | २३- शासन से स्वीकृत समस्त नदों में बजट की स्वीकृति एवं शासनादेश की प्रति। |
| ७- अशासकीय नोट/ ज्ञापन | २४- सम्पूर्ण शासनादेशों की प्रति समरत शासनादेशों के अनुसार की गयी कार्यवाही की प्रतियाँ |
| ८- अनुस्मारक | २५- मुख्य मंत्री की घोषणा/ क्रियान्वयन |
| ९- पृष्ठांकन। | २६- शिक्षक पुरस्कार। |
| १०- प्रस्ताव संकल्प। | २७- चिकित्सा प्रतिपूर्ति। |
| ११- प्रेस विज्ञप्ति। | |
| १२- नोट/ ज्ञापन। | |
| १३- अनुबन्ध पत्र। | |
| १४- सूचना। | |
| १५- घोषणा। | |
| १६- टैण्डर प्रपत्र। | |
| १७- निरीक्षण/ अनुश्रद्धण। | |

अतः उपरोक्त सामूही प्रलटी करण इस प्रकार किया जाए कि कार्यालय में व्यवहारित होने वाले समृद्ध कार्यों की सूचना विषयवार चिन्हिकरण करते हुए संकलित कर विषय सूची सहित सी०डी०/पैन ड्राइव में तत्काल सूचना अनुभाग के उपलब्ध करायी जाय जिससे कि 17 गैनुअलों को समयान्तरागत अपडेट किया जा सके।

भवदीय,
१४
(वी० रेस० रावत)
आपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
ललतराखण्ड, देहरादून

कार्यालय : निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक—सू0अ0/ २३४६-५०

/ 2018-19

दिनांक - ८-५-१९

सेवा में,

- 1- संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
 ✓ 2/ समर्त उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

कृपया निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा के पत्र संख्या—रू0अ0/20202/2017-18 दिनांक 13 नवंबर 2017 एवं पत्र संख्या 2782-83 दिनांक 28.03.2018 का सचर्या प्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या: सू0प्रो 8534-36 /प्र0शि/2017-18 दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के साथ संलग्न रामन्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शारान के पत्र संख्या: 828/XXXI(15)2016G/17-06(रा0रू0अ0)/2012 दिनांक 14 सितम्बर 2017 के द्वारा 17 मैनुअलों को प्रत्येक तर्थ माह अप्रैल से भाष्य जून तक अद्यतीकरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जो अद्यतन अवधि तक अनुभागों द्वारा 17 मैनुअलों से सम्बन्धित सामाची उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

इस संबंध में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त सामग्री/अभिलेख अपने-उपने अनुभागों से मैनुअलों से संबंधित सामाची की सूचना 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च, 2018 तक उपलब्ध कराये जाने हैं। मैनुअल्स में निम्नवत् विषय की रासाग्री संकलित करें।

- | | |
|--------------------------|--|
| 1- कार्यालय ज्ञापन। | 18- नियुक्ति / एडोन्नति / रांशोधन / स्थानान्तरण |
| 2- ज्ञापन | 19- स्वीकृति / प्राप्त एस्टिमेट |
| 3- प्रियत्र | 20-स्थानान्तरण / रित्त / कर्यरह / स्वीकृत पदों ली स्टेमेन्ट सभी वर्णों की। |
| 4- मंजूरी एवं | 21-विभिन्न समय बॉन्ड स्टेटमेंट |
| 5- कार्यालय आदेश | 22-भवन निर्माण / गरण्यत / शैवालय / चाहर दिवारी / बिजली / गानी जी स्थीकृति एवं क्रियान्वयन से रामबन्धित समस्त पत्रजातों को प्रति / विद्यालयों व छिवरण / माडल विद्यालय सम्बन्धी। |
| 6- अद्व सरकारी घट्र | 23-शासन से स्वीकृत रागरत सदों में खजर की स्वीकृति एवं शासनादेश फैल प्रति। |
| 7- अशासकीय नोट / ज्ञापन | 24-सम्पूर्ण शासनादेशों की प्रति समस्त शासनादेशों के अनुसार ली गयी कार्यवाही के प्रतियां |
| 8- अनुस्मारक | 25-मुख्य मंत्री ली धोषणा / क्रियान्वयन |
| 9- एफांकन। | 26-शिक्षक पुरस्कार। |
| 10- प्रस्ताव संकल्प। | 27-विवित्सा प्रतिपूर्ति। |
| 11- प्रेस त्रिज्ञाप्ति। | |
| 12- नोट / ज्ञापन। | |
| 13- अनुबन्ध पत्र। | |
| 14- राघवा। | |
| 15- धोषण। | |
| 16- टैण्डर प्रपत्र। | |
| 17- निरीक्षण / अनुश्रवण। | |

१०५
 ✎

अतः उपरोक्त सामग्री प्रकटीकरण इस प्रकार किया जाय कि कार्यालय में व्यवहारित होने वाले समस्त कार्यों को सूचना विषयवार चिन्हिकरण करते हुए संकलित कर विषय सूची सहित सी0डी0/पैन ड्राइव में तत्काल सूचना अनुभाग को उपलब्ध करायी जाए जिससे कि 17 मैनुअलों को समयान्तर्गत अपडेट किया जा सके।

मबदीय,

(सुमाष चन्द्र भट्ट)
लोक सूचना अधिकारी / संयुक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृष्ठ ४०/सूचना २७ पृष्ठ ५०

2017-18 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि— मुख्य ब्रशासनिक अधिकारी, सम्बन्धित अनुभाग को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने—उपने अनुभागों से 17 मैनुअलों से सम्बन्धित स्थानग्री 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2018 तक एकत्रित करते हुए तत्काल सूचना अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि 17 मैनुअलों को यथा स्थच पर प्रलाशन किया जा सके।

(सुमाष चन्द्र भट्ट) ०४/०५/१८
लोक सूचना अधिकारी / संयुक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

४४०
२१११८

अति महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

- (1) निदेशक, गाध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
 (2) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
 (3) निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।

६५८ पुस्तक
२०१

पत्रांक: सूची/ ४५३५—४६ / प्रशिक्षा/ 2017-18 दिनांक २२ सितम्बर, 2017

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अधीन नये सिरे से लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 828 / XXXII(15)G/17-85(सूची) / 2012 दिनांक 14 सितम्बर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अधीन नये सिरे से लोक सूचना अधिकारी नामित किए जाने के सामने गे निम्नांकित आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं:

1. विभागीय रत्तर एवं जनपद रत्तर पर राजपत्रित अधिकारी लोक सूचना अधिकारी नामित किए जाय एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के पद पर उससे एक पंक्ति ऊपर का अधिकारी नामित/नियुक्त किया जाय।

2. शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक विभाग अपने-अपने विभाग के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित/नियुक्त करने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप संलग्न-1 पर प्रत्येक तर्थ दिनांक 30 सितम्बर तक अटाना (Update) करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायेंगे।

3. प्रत्येक विभाग अपने-अपने विभाग में सभी स्तर पर यथा शासन स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक नये सिरे से लोक सूचना अधिकारी नामित करेंगे तथा प्रत्येक विभागाध्यक्ष द्वारा इस आशय का संलग्न प्रारूप-2 के अनुसार अदेय सूचना प्रमाण उत्र दिया जायेगा कि उनके विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर शासनादेश के अनुसार लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी नामित/नियुक्त कर दिये गये हैं और उनकी समस्त सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है, और अब कोई भी सूचना विभाग के पास अवशेष नहीं रह गयी है।

4. प्रत्येक प्रशासनाकीय विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये नेनुअल तथा अधिनियम की धारा 4(2), 4(3), 4(4) के अन्तर्गत नेनुअलों तक जनसामन्य की गहुंच को सहज बनाने के उद्देश्य से उक्त मैनुअलों को प्रतिवर्ष माह अप्रैल से नाह जून तक अध्याधिक करने के उपरान्त उनका प्रकाशन एवं इण्टरनेट पर अपलोड करते हुए उरुकी सूचना प्रत्येक दशा में 30 सितम्बर तक सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायेंगे, इस रामबन्ध में शासनादेश संख्या 352/

XXXI(15)2016G/17-06(राज्यूअ०)/2015 दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा पूर्व में भी दिशा निर्देश निर्गत किए गये हैं।

5— प्रत्येक प्रशासनाकारी विभाग, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रेषित किये जाने वाले समस्त पत्रों पर सूचना का अधिकार का लोगो (Logo) तथा पत्राचारकर्ता अधिकारी का ई-मेल और दूरभाष नम्बर स्पष्ट अक्षरों में अंकित किया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 1104 XXXI(15)G-72(सा०)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा भी विच्छिन्न निर्देश पूर्व में शासन द्वारा निर्गत किये गये हैं।

अतः शासनादेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया शासनादेशानुसार तत्काल अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे, तथा शासनादेश के संलग्न प्रारूप-1 की अध्यावधिक सूचना तथा संलग्न प्रारूप-2 पर प्रमाण पत्र दिनांक 27-09-2017 तक महानिदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे, ताकि 30 सितम्बर तक सूचना शासन को उपलब्ध कराई जा सके।

संलग्नक— यथोपरि।

भवदीया,

(बन्दना गव्याल)

प्रभारी अपरा निदेशक

महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा

उत्तराखण्ड

पृ०सं०: स०प्र०/ ८५३५-३६ /प्रश्न०/ 2017-18 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि— निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित :—

1— अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सामाज्य, प्रशासन विभाग, देहरादून।

2— अनु सचिव, माध्यमिक शिक्षा, अनु०-५, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(बन्दना गव्याल)

प्रभारी अपरा निदेशक

महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा

उत्तराखण्ड

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड

सेवा में,

1. अपर निदेशक (प्रा०शि०) गढवाल मण्डल पौडी।
2. अपर निदेशक (प्रा०शि०) कुमायू मण्डल नैनिताल।
3. समस्ता मुख्य शिक्षा अधिकारी सुनरता उत्तराखण्ड।
4. सनस्त उप शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक/सू०अ०/ ६७२२-४५५/ 2017-18

दिनांक ३ सितम्बर 2017

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा ५(1) के अधीन नये सिरे से लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपसुक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश चल्या ४२४/xxxii(15)G/17-85(सू०अ०)2017 दिनांक 14 सितम्बर, 2017 के प्रभाव में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्रांक सू०प्र०/८५३४-३६/प्रा०शि०/2017-18 दिनांक 22 सितम्बर 2017 का अवलोकन करने का काट करें। जिसने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा ५(1) के अधीन नये सिरे से लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि वूर्त में निर्गत आदेशों को अतिक्रमित करते हुए नये सिरे से नामित लोक सूचना अधिकारियों एवं एक स्तर उपर विभागीय अपीलीय अधिकारियों को राज्य स्तर, भृगु स्तर, जनपद स्तर एवं ब्लाउ स्तर पर राजपत्रित अधिकारियों को नामित किया जाता है।

आप को यह भी निर्देशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4(1)(ख) के अन्तर्गत आपने अपने स्तर पर नाम्भल/जनपद स्तर ५वं ब्लाउ स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम धारा-4(2), 4(3), 4(4) के अन्तर्गत १७ मैनुअलों को जन सामान्य की पहुँच को सहज बनाने के लिए प्रतिवर्ष गाह अप्रैल से मह जून तक अध्यवधिक करने के उपरान्त उनका प्रकाशन एवं इन्टरनेट पर अपलोड करते हुए ३० सितम्बर तक अवश्यक कार्ययोग्य हो करने का काट करें।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रेषित किये जाने वाले समस्त पत्रों पर सूचना का अधिकार अधिनियम का लोगो(logo) तथा पत्राचारकर्ता अधिकारी का ई.मेल एवं दूरभाष नंबर स्पष्ट अक्षरों में अंकित किया जाय।

संलग्नक— यथोपरि।

भवदीय,

(सुभाष छुन्द्र भट्ट)

संयुक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

पृ०सं०:सू०प्र०/ 16722-८५५ /2017-18 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड पत्रांक: सू०प्र०/ 8534-36/ प्रा०शि०/ 2017-18 दिनांक 22 सितम्बर 2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(सुभाष छुन्द्र भट्ट)
संयुक्त निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड सरर पर नामित लोक सूचना अधिकारी / विभागीय अधिकारी

| लोक सूचना अधिकारी | | | | विभागीय अपीलीय अधिकारी | | |
|-------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|------------------------|
| क्र० | पदनाम | विनाम का नाम | उत्तराखण्ड प्रशिक्षित / राजपत्रित | क्र०स | पदनाम | विभागीय अपीलीय अधिकारी |
| 1 | लोक सूचना अधिकारी / संयुक्त निदेशक, प्र०शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड | प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय सरर | शिक्षा प्रशिक्षित | 1 | विभागीय अपीलीय अधिकारी / अपर निदेशक, प्राठीश्वर निदेशालय उत्तराखण्ड | उत्तराखण्ड |

मण्डल सरर पर नामित लोक सूचना अधिकारी / विभागीय अधिकारी

| लोक सूचना अधिकारी | | | | विभागीय अपीलीय अधिकारी | | |
|-------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|------------------------|
| क्र० | पदनाम | विनाम का नाम | उत्तराखण्ड प्रशिक्षित / राजपत्रित | क्र०स | पदनाम | विभागीय अपीलीय अधिकारी |
| 1 | लोक सूचना अधिकारी / उत्तराखण्ड प्रशिक्षनिक अधिकारी आयोगसभा शापर निदेशक, प्राठीश्वर, गढवाल मण्डल पौली / कुमाऊँ गण्डल नैनीताल | प्रारम्भिक शिक्षा (मण्डल सरर) | शिक्षा प्रशिक्षित | 1 | विभागीय टायोलीज अधिकारी / अपर निदेशक, प्राठीश्वर, गढवाल मण्डल पौली / कुमाऊँ मण्डल नैनीताल | राजपत्रित (मण्डल सरर) |

जनपद स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी / विभागीय अपीलीय अधिकारी

| लोक सूचना अधिकारी | | विभाग का नाम | | अराजपत्रित / राजपत्रित | | पदनाम | | विभागीय अपीलीय अधिकारी | |
|-------------------|---|------------------------------|-----------|------------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------------------|
| क्र० | पदनाम | क्र० | स० | क्र० | स० | क्र० | स० | विभाग का नाम | अराजपत्रित / राजपत्रित |
| 1 | लोक सूचना अधिकारी / समस्त विभाग शिक्षा अधिकारी प्राप्तिः उत्तराखण्ड | प्रायोगिक शिक्षा (जनपद स्तर) | राजपत्रित | 1 | किसानोट अपीलोट अधिकारी / समस्त मुख्य विभाग अधिकारी, उत्तराखण्ड | प्रायोगिक शिक्षा (जनपद रत्न) | राजपत्रित | किसानोट अपीलोट अधिकारी / समस्त मुख्य विभाग अधिकारी, उत्तराखण्ड | प्रायोगिक शिक्षा (जनपद रत्न) |

ब्लाफ़ पर नामित लोक सूचना अधिकारी / विभागीय अपीलीय अधिकारी

| लोक सूचना अधिकारी | | विभाग का नाम | | अराजपत्रित / राजपत्रित | | पदनाम | | विभागीय अपीलीय अधिकारी | |
|-------------------|---|-----------------------------------|-----------|------------------------|--|-----------------------------|-----------|--|--|
| क्र० | पदनाम | क्र० | स० | क्र० | स० | क्र० | स० | विभाग का नाम | अराजपत्रित / राजपत्रित |
| 1 | लोक सूचना अधिकारी / समस्त उप विभाग अधिकारी प्राप्तिः उत्तराखण्ड | प्रायोगिक शिक्षा (क्षेत्रका स्तर) | राजपत्रित | 1 | विभागीय अपीलीय अधिकारी / समस्त जिला विभाग अधिकारी प्राप्तिः उत्तराखण्ड | प्रायोगिक शिक्षा (लोक स्तर) | राजपत्रित | विभागीय अपीलीय अधिकारी / समस्त जिला विभाग अधिकारी प्राप्तिः उत्तराखण्ड | विभागीय अपीलीय अधिकारी / समस्त जिला विभाग अधिकारी प्राप्तिः उत्तराखण्ड |

संख्या ४२५ दिनांक १७/६/२०१२
लोक संघर्ष विभाग
नियुक्ति अधिकारी

६५२
३१/६/२०१२

संख्या ४२५/XXXI(15)G/17- ८५(सू०अ०) / 2012

प्रेषक,

इन्दुधर बौडाइ,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलाध्यक्ष, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून: दिनांक ५ सितम्बर, 2017

विषय—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा ५(१) के अधीन नये सिरे से लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

(६२५०)

महोदय

अपराधिकारी अधिकारी (विभागीय)

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड सूचना आधोग में दर्ज अपील संख्या—A(D)-
१६०९१, १६०९२, १६०९५/२०१४ में पारित आदेश दिनांक १०.०३.२०१६ द्वारा संज्ञानित कराया
गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा ५(१) के अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर
नये सिरे से लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों को नामित किया जाए।

(कन्दर छार भद्र)

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी शासनादेश संख्या:
विभागीय नियम/प्रैक्टिस/सू०अ०/४२५/XXXI(15)G/17- ८५ (सू०अ०) / 2012 दिनांक १२ जून, 2017 के द्वारा शासनस्तर पर
लोक सूचना अधिकारी के रूप में अनु सचिव/उष सचिव एवं अपीलीय अधिकारी के रूप में
संयुक्त सचिव/अपर सचिव इसी प्रकार विभागीय/जनपद स्तर पर राजपत्रित अधिकारी
लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के पद पर उससे एक पंक्ति ऊपर
के अधिकारी को नामित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

२१

३. सूचना का अधिकार अधिनियम के समयबद्ध एवं प्रभावशाली क्रियान्वयन में
शासन स्तर पर हो रहे अनावश्यक विलम्ब के कारण अनुभाग की केन्द्रीय रिप्रति एवं
अभिलेखों के संरक्षक की भूमिका के दृष्टिगत उक्त के सम्बन्ध में शासनस्तर पर पुनर्विचार
किया गया और सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में
पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेश को अतिक्रमित करते हुए शासनस्तर पर अनुभाग अधिकारी,
लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाय एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी के पद पर उप
सचिव या रायुक्त सचिव नामित किये जाये। इसी प्रकार विभागीय स्तर एवं जनपद स्तर
पर राजपत्रित अधिकारी लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाय एवं विभागीय अपीलीय
अधिकारी के पद पर उससे एक पंक्ति ऊपर का अधिकारी नामित/नियुक्त किया जाय।

(४.१.)

४. प्रत्येक विभाग अपने-अपने विभाग के अन्तर्गत लोक सूचना
अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित/नियुक्त करने के उपरान्त उसकी सूचना

निर्धारित प्रारूप संलग्न-1 पर प्रत्येक वर्ष दिनांक 30 सितम्बर तक अद्यतन (Update) करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायेंगे।

5. प्रत्येक विभाग अपने—अपने विभागों में सभी स्तर पर यथा शासनस्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक नये सिरे से लोक सूचना अधिकारी नामित करेंगे तथा प्रत्येक विभागाध्यक्ष द्वारा इस आशय का संलग्न प्रारूप-2 के अनुसार अदेय सूचना प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि उनके विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर शासनादेश के अनुसार लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी नामित/नियुक्त कर दिये गये हैं और उनकी समस्त सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है और अब कोई भी सूचना विभाग के पास अवशेष नहीं रह गयी है।

6. प्रत्येक प्रशाराकीय विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों द्वाश तैयार किये गये 17 मैनुअल तथा अधिनियम की धारा 4(2), 4(3), 4(4) के अन्तर्गत मैनुअलों तक जनसामान्य की पहुँच को सहज बनाने के उद्देश्य से उक्त मैनुअलों को प्रतिवर्ष माह अप्रैल से माह जून तक अध्यावधिक करने के उपरान्त उनका प्रकाशन एवं इण्टरनेट पर अपलोड करते हुए उसकी सूचना प्रत्येक दशा में 30 सितम्बर तक सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायेंगे। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-352/XXXI(15)2016G-06 (सा०सूआ०)/2015 दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा पूर्व में भी दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

7. प्रत्येक प्रशासकीय विभाग, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रेषित किये जाने वाले समस्त पत्रों पर सूचना का अधिकार अधिनियम का लोगो (Logo) तथा पत्राचारकर्ता अधिकारी का ई-मेल और दूरभाष नम्बर स्पष्ट अक्षरों में अंकित किया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1104/XXXI(15)G-72(सा०)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा भी विस्तृत निर्देश पूर्व में भी निर्गत किये गये हैं।

यह शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


भवदीय,
Celler
(~~इन्हुंने बौद्धार्ह~~)
अपर सचिव।
OL

संख्या: / XXXI(15)G/17- 85(सू0अ0) / 2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मारो मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि समस्त दैनिक समाचार पत्रों एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(केवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव

ok

